

प्रशिक्षण :

(क)	हिन्दी भाषा : संस्थान में कार्यरत् 26 अधिकारी एवं 80 कर्मचारी में से 25 अधिकारी एवं 79 कर्मचारी प्रशिक्षित/प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं । चूँकि 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारी/कर्मचारी को हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान है इसलिए संस्थान को राजभाषा नियम-10(4) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है ।
(ख)	हिन्दी टंकण/प्रशिक्षण : संस्थान में कार्यरत् कुल 01 निम्न श्रेणी लिपिक एवं 08 उच्च श्रेणी लिपिक को हिन्दी टंकण का पर्याप्त ज्ञान है एवं वे हिन्दी टंकण कार्य करते हैं ।
(ग)	हिंदीतर भाषियों के लिए विशेष हिन्दी कक्षाओं का आयोजन : संस्थान में कार्यरत् हिंदीतर भाषी वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन विशेष हिन्दी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें उन्हें कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है ।